भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4481
(दिनांक 20.08.2025 को उत्तर के लिए)

मिशन कर्मयोगी

4481. डॉ. निशिकान्त दुबे:
श्री आशीष दुबेः
श्री हरीभाई पटेलः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में मिशन कर्मयोगी लागू किया है और यदि हाँ, तो इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं;
(ख) क्या सरकार द्वारा उक्त मिशन के अंतर्गत देश में नई संस्थाएं स्थापित की गई हैं या स्थापित करने की योजना बना रही है;
(ग) यदि हाँ, तो, विशेषकर महेसाणा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और उत्तरी गुजरात सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) उक्त मिशन के अंतर्गत उक्त संस्थाओं की प्रमुख भूमिकाएँ क्या हैं और इनकी स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ): मिशन कर्मयोगी, जिसे राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) के रूप में भी जाना जाता है, जो केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य, नियम-आधारित से भूमिका-आधारित और योग्यता-संचालित क्षमता निर्माण ढांचे में बदलाव करके भविष्योन्मुखी और नागरिक-केंद्रित सिविल सेवा का निर्माण करना है। इस पहल का एक प्रमुख घटक, आईगॉट कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो व्यवहारात्मक, कार्यात्मक और प्रक्षेत्र (डोमेन) सक्षमताओं में ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करता है, ताकि सरकारी कर्मचारियों के लिए कभी भी-कहीं भी शिक्षण को समर्थ बनाया जा सके। मिशन कर्मयोगी के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में क्रमशः वर्ष 2021 और 2022 में दो संस्थानों- क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) और कर्मयोगी भारत स्पेशल पर्पस व्हीकल (केबी-एसपीवी) की स्थापना की गई थी। सीबीसी, क्षमता निर्माण योजनाओं के प्रतिपादन और कार्यान्वयन में मंत्रालयों/विभागों और संगठनों की सहायता करता है जबकि केबी-एसपीवी, आईगॉट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का स्वामित्व रखता है और उसका संचालन करता है। इस मिशन को मौजूदा सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म- आईगॉट कर्मयोगी के माध्यम से भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में लागू किया जा रहा है। उत्तरी गुजरात अथवा मेहसाणा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित किसी भी राज्य में, इस मिशन के अंतर्गत नई संस्थाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। क्षमता निर्माण संबंधी कार्यकलापों को मुख्य रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म और संबंधित मंत्रालयों/विभागों की क्षमता निर्माण योजनाओं के माध्यम से सुगम बनाया जा रहा है।

****